रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266576 CG-DL-E-01102025-266576

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4291] No. 4291]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4411(अ).—जबिक, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, और तदनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 की उप-नियम (3) के अधीन यथा-अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाली जनता को जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना को उस तिथि से साठ (60) दिनों की अविध की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात विचार में लिया जाएगा, जिस तारीख से इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ आमजनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, वह उसे लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के विचारार्थ निर्दिष्ट अविध के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 को प्रेषित कर सकता है, अथवा इसे मंत्रालय के ई-मेल पते: diriapolicy-moefcc@gov.in पर भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

का. आ. -----(अ.) जबिक, केंद्र सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (भूतपूर्व) के अंतर्गत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रदत्त

6467 GI/2025 (1)

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 14 सितंबर, 2006 के का. आ 1533 (अ.), के माध्यम से इस अधिसूची की अनुसूचित में वर्णित कितपय परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (जिसे यहाँ "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) जारी किया गया था;

और जबिक, स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स को श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और परिवहन के साधन के आधार पर उन्हें आगे श्रेणी ख1 और ख2 में उप-वर्गीकृत किया गया है। ऐसी इकाइयाँ, जहाँ कच्चे माल और तैयार उत्पादों (आवक एवं जावक दोनों मिलाकर) का 90% से अधिक परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जाता है, उन्हें श्रेणी ख 2 में वर्गीकृत किया गया है।

और जबिक, ऐसी परियोजनाओं के लिए यदिप सार्वजिनक परामर्श और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तथापि इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत सीमेंट संयंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण क्षमता होने के बावजूद, स्टैंडअलोन ग्राइंडिंग यूनिट्स समान नियामक और निगरानी व्यवस्था के अधीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप उंन पर अनुपातहीन अनुपालन का दायित्व होता है।

और जबिक, वे स्टैंडअलोन ग्राइंडिंग यूनिट्स (बिना कैप्टिव पावर संयंत्र के) जो न तो कैल्सिनेशन और न ही क्लिंकराइजेशन की प्रक्रिया अपनाती हैं, उनकी कार्बन उत्सर्जन, अपिशष्ट उत्पत्ति (सीमेंट संयंत्र की तुलना में), तथा ऊर्जा खपत (उच्च तापमान वाली प्रक्रियाओं के अभाव के कारण) अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परिवहन रेलवे और/या ई-वाहनों या दोनों के माध्यम से किए जाने पर प्रदूषण की संभावनाएँ और भी कम हो जाती है।

और जबिक, इस विषय की जांच संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित द्वारा की गई थी। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात, विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित ने यह सिफारिश की कि 'ऐसी स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स, जिनके पास कैप्टिव पावर संयंत्र नहीं है और जिनमें कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों का पूरा परिवहन रेलवे और/या ई-वाहनों अथवा दोनों के माध्यम से किया जाता है', उन्हें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। सिमिति ने यह भी देखा कि इस प्रकार की छूट से हरित लॉजिस्टिक्स और पर्यावरणीय प्रशासन को प्रोत्साहन मिलेगा।

और जबिक, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को जांच के लिए विशेषज्ञ परामर्श समिति को भेजा गया। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात, विशेषज्ञ परामर्श समिति ने संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश से सहमित व्यक्त की, बशर्ते कि कच्चे माल या तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए ई-वाहनों का उपयोग करते समय कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू किए जाए।

और जबिक, विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति एवं विशेषज्ञ परामर्श सिमिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसी स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स, जिनमें कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परिवहन केवल रेलवे अथवा ई-वाहनों के माध्यम से किया जाता है, उन्हें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की आवश्यकता से छुट दी जा सकती है।

अतः, अब पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (भूतपूर्व), भारत सरकार के दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533(अ.), में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में,—

अनुसूची में, प्रविष्टि 3(ख) के स्तंभ (5) में, वर्तमान अनुच्छेदों के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"3. ऐसे स्टैंडअलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स, जिनके पास कैप्टिव पावर संयंत्र नहीं है और जिनमें कच्चे माल और तैयार उत्पादों का पूरा परिवहन रेलवे अथवा ई-वाहनों के माध्यम से किया जाता है, उन्हें छूट दी जाती है।"

[फ़ा. सं. आईए3-22/16/2025-आईए.III]

रजत अग्रवाल,संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर, 2006 के का.आ. 1533(अ), के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 17 मार्च, 2025 के का.आ. 1223(अ) में अन्तिम संशोधित किया गया।

\*\*\*\*

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2025

**S.O. 4411(E).**—WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

#### **Draft Notification**

S.O. \_\_\_\_(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects covered in the schedule of the notification;

AND WHEREAS, standalone cement grinding units are classified as Category 'B' projects and are further subcategorized into category B1 and B2 based on the mode of transportation. Units where more than 90% of the total transportation of raw materials and finished products (inward and outward combined) is carried out through railways, are categorized as B2.

AND WHEREAS, these projects are still required to undergo the appraisal process for the grant of EC, in spite of the fact that such projects do not require Public Consultation and detailed EIA report. Furthermore, despite having a lower pollution potential compared to integrated cement plants, standalone grinding units are subjected to similar regulatory and monitoring regime, resulting in disproportionate compliance obligations.

AND WHEREAS, the Standalone Grinding units (without captive power plant) which do not undertake calcination and clinkerization have lower carbon emissions, waste generation (as compared to cement plant) and energy consumption (due to absence of high temperature processes). In addition, transportation of raw materials and finished products via Railways and/or E-Vehicles or a combination of both further reduces the pollution potential.

AND WHEREAS, the matter was examined by the concerned Expert Appraisal Committee. After due deliberation, the Expert Appraisal Committee recommended that 'Standalone Cement Grinding Units without Captive Power Plant and with complete transportation of raw materials and finished products via Railways and/or E-Vehicles or a combination of both' can be considered for exemption from the requirement of prior Environmental Clearance. The committee observed that the exemption will encourage green logistics and environmental governance.

AND WHEREAS, the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee subject to implementation of stringent environmental safeguards, especially for transportation of the raw materials or finished products through E-Vehicles.

AND WHEREAS, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that such Standalone Cement Grinding units with transportation of raw materials and finished products exclusively through Railways and/or E-Vehicles, can be exempted from the requirement of prior EC subject to implementation of environmental safeguards.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment

(Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, namely:-

In the said notification,-

In the Schedule, against item 3(b), in column (5), after the existing paragraphs the following shall be inserted, namely:-

"3. Standalone Cement Grinding Units without Captive Power Plant and with complete transportation of raw materials and finished products via Railways and/or E-Vehicles, are exempted"

[F. No. IA3-22/16/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025.